

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2824 / स्था.-प्रा.शा. / पदो. / संवर्ग-टी / 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मालती विश्वकर्मा	प्रा०शा० जुनाडीह	लखनपुर	प्रा०शा० परसाकछार, नानदमाली	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 जुनाडीह .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती मालती विश्वकर्मा** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अमिता सिंह	प्रा0शा0 घुमकापारा	लखनपुर	प्रा.शा. कोरवापारा, बडादमाली	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 घुमकापारा .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती अमिता सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा देवी	प्रा.शा.पटेलपारा	उदयपुर	प्रा.शा. सरनापारा, कर्मा	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.पटेलपारा .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती सीमा देवी** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री साम्य दास गुप्ता	प्रा.शा. नदीपारा	अम्बिकापुर	प्रा.शा. धटोन पारा पटकुरा	लखनपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. नदीपारा .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री साम्य दास गुप्ता** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलिनंदर सिंह	प्रा.शा. मझवारपारा	उदयपुर	प्रा.शा. झिंगाझरिया बकोई	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. मझवारपारा .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री बलिन्दर सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनिल टोप्पो	प्रा.शा.उरांवपारा पम्पापुर	अम्बिकापुर	प्रा.शा. खुड़ी	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.उरांवपारा पम्पापुर .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री अनिल टोप्पो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	कु0 ज्योति मिंज	प्रा.शा. कटघोरियापारा	उदयपुर	प्रा.शा. सीतकालो	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.कटघोरियापारा .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **कू० ज्योति मिंज** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री शैलेन्द्र कुमार दुबे	प्रा.शा. परेयाखार	उदयपुर	प्रा.शा. बनकेसमा	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. परेयाखार .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री शैलेन्द्र कुमार दुबे** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री शिवचरण राम भगत	प्रा0शा0 पंडोपारा	लखनपुर	प्रा.शा. बटपरगा मेरया	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 पंडोपारा .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री शिवचरण राम भगत** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामसाय रजक	प्रा.शा. देवटिकरा	उदयपुर	प्रा.शा. पहाड़कोरजा	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. देवटिकरा .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री रामसाय रजक** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	प्रा०शा० खर्राडांड	लखनपुर	प्रा.शा. मुदाराडांड बकोई	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 खर्डांड .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री जितेन्द्र पाल सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दिलेश्वरी सिंह	बा.आ. केदमा	उदयपुर	प्रा.शा. बजबहरी मरेया	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बा.आ. केदमा .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती दिलेश्वरी सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलबीर सिंह	प्रा.शा.परसा	उदयपुर	प्रा.शा. सैदू खास	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.परसा .वि.खं.- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री बलबीर सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजनाथ टोप्पो	प्रा0शा0 आश्रम तुनगुरी	लखनपुर	प्रा.शा. नागाडांड	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 आश्रम तुनगुरी .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री राजनाथ टोप्पो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमेश कुमार सिंह	प्रा.शा.करम्हा	मैनपाट	प्रा.शा. सिकरियाडांड	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनापाट / मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.करम्हा .वि.खं.- मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री रमेश कुमार सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुनिता टोप्पो	प्रा.शा.माझापारा	मैनपाट	प्रा.शा. खालपारा पथरई	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनापाट / मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.माझापारा .वि.खं.- मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती पुनिता टोप्पो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रेमचन्द्र राजवाडे	प्रा.शा. जूनाडीह	मैनपाट	प्रा.शा. अवंराडांड खास	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनापाट / मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. जूनाडीह .वि.खं.- मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री प्रेमचन्द्र राजवाडे** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनिता लकड़ा	प्रा.शा. खालपारा पथरई	मैनपाट	प्रा.शा. पटेलपारा	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को देवें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. खालपारा पथरई .वि.खं.- मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती अनिता लकड़ा** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री रविनाथ	प्रा0शा0 घटोनपारा	लखनपुर	प्रा.शा. पनहीपखना	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 घटोनपारा .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री रविनाथ** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री सच्चिदानंद सिंह	प्रा0शा0 घुटरापारा	अम्बिकापुर	प्रा.शा. सपनादर	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825**
प्रतिलिपि-

/स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 घुटरापारा .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री सच्चिदानंद सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2824 / स्था.-प्रा.शा. / पदो. / संवर्ग-टी / 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री फिलमोन टोप्पो	प्रा0शा0 उरांवपारा	लखनपुर	प्रा.शा. चम्परवा	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 उरांवपारा .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री फिलमोन टोप्पो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश रावत	प्रा.शा.भफौली	अम्बिकापुर	प्रा.शा. रोपाखार	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.भफौली .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री राजेश रावत** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री विक्रम सिंह राजपुत	प्रा.शा. पतरापारा	मैनपाट	प्रा.शा. बंगरकालो	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. पतरापारा .वि.खं.- मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री विक्रम सिंह राजपुत** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुभाष चन्द्र पैकरा	प्रा.शा.सलेहापारा	मैनपाट	प्रा.शा. चुरकीपानी	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.सलेहापारा .वि.खं.- मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री सुभाष चन्द्र पैकरा** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुजस्सम खान	प्रा.शा.मुरुमडीह	मैनपाट	प्रा.शा. दांतीढाब	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनापाट / मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.मुरुमडीह .वि.खं.- मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री मुजस्सम खान** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री मनीष कुमार गुप्ता	प्रा.शा. पटेलपारा	मैनपाट	प्रा.शा. बहलापारा	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. पटेलपारा .वि.खं.- मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री मनीष कुमार गुप्ता** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमित कुमार पाण्डेय	उ.मा.वि. कमलेश्वरपुर	मैनपाट	प्रा.शा. बघमड़ापारा	सीतापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट / सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला उ.मा.वि.कमलेश्वरपुर .वि.खं.- मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री अमित कुमार पाण्डेय** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुष्पा सिंह	प्रा0शा0 बरटिकरा	लखनपुर	प्रा.शा. मुड़ापारा सूर	सीतापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 बरटिकरा .वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती पुष्पा सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	अर्चना एक्का	शा.कन्या शिक्षा प. अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	प्रा.शा. डुमरपारा	बतौली

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / बतौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शा.कन्या शिक्षा प. अम्बिकापुर .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **अर्चना एक्का** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री लोकेश कुमार चौबे	शा.कन्या शिक्षा प. अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	प्रा.शा. कोरवापारा	बतौली

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / बतौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शा.कन्या शिक्षा प. अम्बिकापुर .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री लोकेश कुमार चौबे** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्रीराम	प्रा०शा० टिरंग	बतौली	प्रा.शा. बाघपानी	बतौली

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बतौली / बतौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 टिरंग .वि.खं.- बतौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री श्रीराम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुमति सिंह	प्रा.शा. रूडूकेला	बतौली	प्रा.शा. टुकुपानी	बतौली

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बतौली / बतौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. रुडूकेला .वि.खं.- बतौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती सुमति सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री लखन राम	प्रा0शा0 कटोरीपानी	लुण्ड्रा	प्रा0शा0 परशाढोढी	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लुण्ड्रा / लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 कटोरीपानी .वि.खं.- लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री लखन राम** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री तुषार यादव	प्रा.शा. पण्डोपारा (मेण्ड्राकला)	अम्बिकापुर	प्रा0शा0 बथानपारा अमड़ी	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / लुण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. पण्डोपारा (मेण्डाकला) .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री तुषार यादव** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री संतोष कुमार शर्मा	प्रा.शा. उरांवपारा राता	लुण्ड्रा	प्रा0शा0 कुण्डपानी	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लुण्ड्रा / लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. उरांवपारा राता .वि.खं.- लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री संतोष कुमार शर्मा** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक/ 2824 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-टी (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-टी के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री मोहम्मद फिरोज खान	प्रा0शा0 मिरगाड़ाड़	अम्बिकापुर	प्रा0शा0 खजूरपारा लमगांव	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-ई का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक/ **2825** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-टी/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 मिरगाड़ा .वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री मोहम्मद फ़िरोज खान** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा